

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूवीजर्टी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3549

दिनांक: 30/07//

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : शिवनाथ सिंह नर्सिंग महाविद्यालय, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. एन.के. दुबौलिया, शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर
2. डॉ. पुष्पा बकुर, विधि विभाग, शासकीय महाविद्यालय, अशोकनगर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, शिवनाथ सिंह नर्सिंग महाविद्यालय, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./ठी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

लग्नत पर आवहार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाहर से ही किया जाए न
कि किसी अन्य विधिकारी के बाहर से।
उन्नतिवाचन विवर पर यदि दूर्घा में पर
आवहार हुआ हो तो एक समाजिक परिवर्तन
प्रबोध किया जाए किसी भी गिरावट नहीं हो।



दाता : दृष्टिकीर्ति
दृष्टान्त : (0751) 2341896
(0751) 2442829
दीवान : (0751) 2341768

प्रेषक :

जीवाजी विश्वविद्यालय

न्यालियर

क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2009/ 4928

दिनांक: २४/५/१८

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर से सम्बद्ध विवाहालय शिंह कॉलेज ऑफ लर्निंग विवराई बाकर, विलपुरी लिंक गेड, न्यालियर (0751-2423840) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबंधित बी.एस.सी. बर्सिंग पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्वायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर ने विश्वविद्यालय अधिविषयम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत विनाशकुलार्थ विटीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव लैन, अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., न्यालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) प्रो. डी.ए. गोखार्डी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., न्यालियर।

(3) प्रो. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. बर्सिंग कॉलेज, न्यालियर।

विटीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विटीक्षण कर शुल्क, घरेलू राशि, वापिसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक टर्टेंक, प्राप्तिकृत संस्का से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीएनसी तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यव प्राप्ति पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक टर्टेंक की विकुलितयों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवान के अन्दर विटीक्षण समिति उपर्युक्त एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विटीक्षण करायें। समिति उपर्युक्त से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में विटीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवान में विश्वविद्यालय कार्यालय में भेज करें। विटीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकृत विटीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति जग्न का पत्र प्राप्त होने के बाद विटीक्षण ने की जई देई के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। विटीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विटीक्षण बही करता है तो समिति न्यतः विरुद्ध हो जायेगी और पुनः विटीक्षण समिति जग्न हेतु महाविद्यालय को एक खर्च रु. 25,000/- जमा करने होंगे। उत्पत्तात ही विटीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवाह छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विटीक्षण समिति के लाभ सम्बद्धता शाखा ने कार्यरत अधीक्षक / कार्यालयक प्राक्षणी लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वस्तुतिकृत रूप सम्बद्धता समिति को अवगत करायेंगे। विटीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / मानवदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3/11/13
कुलसंचित

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विटीक्षण
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुढ़ा भवन, भोपाल
4. कुलसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के विजी लहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

उप-कुलसंचित (सम्बद्धता)